न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 53/2014 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 09.07.2014

श्रीमति कान्ता देवी पत्नि श्री श्यामलाल जाति ब्राह्मण सुखवाल आयु वयस्क, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीया

बनाम

1–श्री छोगालाल पिता श्री प्रताप जी पूर्बिया आयु वयस्क, निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ **(नामतकी)**
2–श्री रूपलाल पिता श्री छोगाजी पूर्बिया आयु वयस्क, निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3–ग्राम पंचायत सावा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4–विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र एक पक्षीय कार्यवाही एवं निर्णय निरस्तगी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ बमामले प्रकरण संख्या 03/2010 निगरानी पंचायत निर्णित दिनांक 22.03.11

उपस्थितिः 1–श्री श्यामलाल दायमा, अधिवक्ता प्रार्थीया
2–श्री कन्हैयालाल श्रीमाली, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 24.07.2018

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2010 (नि.पं.) में दिनांक 22.03.2011 को पारित एक तरफा कार्यवाही एवं निर्णय को निरस्त कर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल श्रीमाली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। इस न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 03/2010 (नि.पं.)

निर्णय दिनांक 22.03.2011 तलब की गई। दौराने कार्यवाही विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने तथा उसके वैध उत्तराधिकारी प्रकरण में पहले से ही पक्षकार होने से विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क करने के आदेश दिए गए। पत्रावली प्राप्त होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीया के भूखण्ड उत्तर दक्षिण 20 फीट एवं पूरब पश्चिम लम्बाई 45 फीट कुलिया 900 वर्ग फीट साईज जो मिसल नम्बर 30/99 से पूर्ण कार्यवाही कर प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत से दिनांक 18.12.1999 को पट्टा प्राप्त किया जिस पर प्रार्थीया की निर्माण सामग्री पडी हुई है को विपक्षी संख्या 1 व 2 ने भ्रामक कार्यवाही का तानाबाना बुनकर माननीय न्यायालय से एक पक्षीय कार्यवाही कराते हुए दिनांक 22.03.2011 को पट्टा निरस्त करा दिया। प्रार्थीया के नाम जारी सम्मन (नोटिस) पर तामील कभी आवेदिका की नहीं करायी गई है पत्रावली में उपलब्ध तामीलशुदा सम्मन पेशी दिनांक 22.06.2010 पर तामील कुलिन्दा ने श्यामलाल ने प्राप्त किया लिखकर स्वयं लिखकर गलत बनावटी तामील पूर्ति की लगती है वैधानिक दृष्टि से भी तामील कुलिन्दा ने तामील अपूर्ण ही पेश कर अपनी खानापूर्ति की है। आदेश 5 नियम 17 से लगायत 19-20 सी. पी. सी. के किसी प्रोसीजर को फोलो नहीं किया है। न्यायालय हाजा ने भी तामीलशुदा आवेदिका के सम्मन को नजर अंदाज कर बिना जांच पड़ताल व प्रक्रिया का पालन किये पट्टा निरस्त कर दिया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2011 की जानकारी भी किसी भी भांति आवेदिका को पूर्व में नहीं हो पायी है। सम्पूर्ण पत्रावली में आवेदिका अपना वैध पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से भी महरूम हो गयी है इसलिए न्यायहित में सर्वप्रथम एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.06.2010 एवं निर्णय दिनांक 22.03.2011 निरस्त कराये जाने हेतु यह आवेदन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.06.2014 से मानकर न्यायालय में प्रस्तुत किया है फिर भी मयाद वृद्धि हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर एक पक्षीय कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 22.03.2011 निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीया को ग्राम पंचायत ने अवैधानिक कार्यवाही करते हुए व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से दिनांक 18.12.99 को उक्त आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया जिसे माननीय न्यायालय ने सही निरस्त किया है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं होकर मुझ विपक्षी का कब्जा है। उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 27.06.1969 को ग्राम पंचायत सावा ने विधिवत पट्टा जारी किया। उक्त स्थान पर अप्रार्थी द्वारा चूना-पत्थर से चारों तरफ दीवार बना रखी है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीया का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। प्रार्थीया का कथन सरासर गलत है कि उसे सम्मन तामील नहीं हुआ है। तामील कुलिन्दा ने प्रार्थीया के घर पर नहीं मिलने से उसके पति श्री श्यामलाल को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोटिस की एक प्रति उपलब्ध करा सी. पी. सी. के नियमों का पालन करते हुए विधिवत् तामील कराई है। इस प्रकार प्रार्थीया को सारी कार्यवाही की जानकारी होते हुए भी प्रार्थीया जान-बुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। निगरानी का निर्णय गुण दोषों पर हुआ है और गुण दोष पर निर्णय होने के बाद उसी अदालत को उक्त निगरानी के संबंध में निर्णय रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी प्रार्थीया को रही है निर्णय दिनांक 22.03.2011 से दिनांक 15.06.2014 तक की उक्त इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया है जो किसी भी स्थिति में मयाद में नहीं माना जा सकता एवं प्रार्थीया ने ऐसा कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। इस न्यायालय की मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 03/2010 (नि.पं.) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया को प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 22.06.2010 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 08.05.2010 को सूचना पत्र जारी किया गया है तथा उक्त सूचना पत्र पर प्रार्थीया के पति श्री श्यामलाल के नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर अंकित है जिससे प्रार्थीया का कथन की सम्मन पर उसकी कभी तामील नहीं कराई है मानने योग्य नहीं है।

जहां तक प्रार्थीया का कथन है कि, न्यायालय हाजा ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना जांच पड़ताल एवं विधिक प्रकिया अपनाये पट्टा निरस्त कर दिया वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि, विवादित पट्टे से संबंधित रेकॉर्ड/पत्रावली ग्राम पंचायत, सावा से तलब की गई है तथा ग्राम पंचायत सावा ने अपने पत्र दिनांक 18.10.2010 से उक्त पट्टे से संबंधित मिसल नं. 30/99 दायर दिनांक 13.08.1999 मूल ही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसके पश्चात् ग्राम पंचायत, सावा से पुनः विवादित पट्टे से संबंधित भू-भाग के कब्जे के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है जिसमें 30-40 वर्षो से विवादित भू-भाग पर श्री छोगालाल पिता प्रताब पूर्बिया का कब्जे होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आम रास्ते/आम सड़क सीमा में दिया जाना पाया जाने से ग्राम पंचायत सावा द्वारा जारी उक्त पट्टा निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत सावा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पुनः जांच कर प्रचलित प्रावधानों के तहत प्रकरण का निस्तारण करे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2010 (नि.पं.) मे मात्र प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया है बल्कि उक्त प्रकरण का दिनांक 22.03.2011 को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। जहां तक निर्णय रिव्यू करने का प्रश्न है, रिव्यू का लिमिटेड़ स्कॉप है। निर्णय में कोई रेकार्ड के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकाबले टंकण में कोई लिपिकीय या गणित संबंधी त्रुटि होने की स्थिति में रिव्यू किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

दिनांक 22.03.2011 को पट्टा खारीज कर प्रकरण ग्राम पंचायत को पुनः नए सिरे से जांच कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करने से, ग्राम पंचायत सावा द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु पक्षकारों को इस संबंध में जानकारी दी जाकर नए सिरे से पट्टा जारी करने हेतु अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की गई होगी, जिससे प्रार्थीया का कथन कि उसे सर्वप्रथम पट्टा खारीज करने की जानकारी दिनांक 15.06.2014 को हुई है मानने योग्य नहीं है। प्रार्थीया ने दिनांक 22.03.2011 को निर्णय पारित होने के लगभग 3 वर्ष 3 माह बाद यह आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पाया जाता है।

निष्कर्षतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2011 में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीया यदि निर्णय से असंतुष्ट है तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर उचित दाद प्राप्त कर सकती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official